

6/4/22

वकील प्रार्थीगण उफ/अहम सुनी गढ़ी
पत्रां एवं मूल पत्रां का अलमोकन किया।
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
दि. 21/4/2015 को ही चुकी है। ऐसी
स्थिति में पी.पत्र प्रार्थीगण स्वयंकार
किया जाता है। मूल पत्रावली को
पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। पत्रां वास्तव अदायगी हजा
500 रुपये पर पी.पत्र नम्बर पर
लिया जाता है। पत्रां दारिकल दफ्तर
है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)